न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1603–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–3–2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 31/अपील/2012–13.

.....

श्रीमती सरोज बुद्धराजा पत्नी सुभाष बुद्धराजा
निवासी जवाहर वार्ड नम्बर 19 मकान नम्बर 102 पार्दुना,
तहसील पार्दुना जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प बैतूल
2–अशोक कुमार तालमपुरिया आ0 मिश्रीलाल तालमपुरिया
3–कांतिकुमार तालमपुरिया आ0 मिश्रीलाल तालमपुरिया
4–दिलीप कुमार तालमपुरिया आ0 मिश्रीलाल तालमपुरिया
सभी निवासी राजेंद्र वार्ड बैतूल गंज बैतूल तहसील व जिला बैतूल

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–अपीलार्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 4/8/16 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 47–क(5) के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम टिकारी तहसील व जिला बैतूल स्थित भूमि सर्वे कमांक 916/05 रकबा 0.343 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 916/06 रकबा 0.343 हेक्टेयर एवं 916/07 रकबा 0.343 हेक्टेयर कुल रकबा 1.029 हेक्टेयर रुपये 30,68,500/– में कय की जाकर दस्तावेज पंजीकृत कराया गया है । महालेखाकार ग्वालियर की निरीक्षण टीम वर्ष

2008–2011 द्वारा निरीक्षण टीप में प्रश्नाधीन दस्तावेज पर कम मुद्रांक शुल्क अदा किये जाने संबंधी आक्षेप लगाया गया । महालेखाकार की निरीक्षण टीम द्वारा लिये गये आक्षेप पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 10/बी–105/2011–12 दर्ज कर दिनांक 17–10–2012 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 50,58,000/– अवधारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क 1,54,660/– व पंजीयन शुल्क रुपये 15,669/– कुल राशि रुपये 1,70, 429/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–3–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस समय दस्तावेज पंजीकृत कराया गया था, उस समय प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार ही मुद्रांक शुल्क अदा किया गया था और दस्तावेज पंजीयन के समय उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क कम होने संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है इसलिये बाद में अपीलार्थी से मुद्रांक शुल्क नहीं लिया जा सकता है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उपपंजीयक के कथन नहीं कराये गये हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि निरीक्षणदल की टीप के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 17–12–12 की तिथि नियत की गई थी और उसके पीठ पीछे दिनांक 17–12–12 की तिथि निरस्त की जाकर दिनांक 17–10–2012 को ही आदेश पारित कर दिया गया, जो कि विधि की गंभीर भूल है। यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है, इसलिये निरीक्षण दल की आपत्ति उचित नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं और उनके द्वारा संयुक्त रूप से भूमि विकय की गई है, अतः अपीलार्थी द्वारा उचित मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ

न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् गाईड लाईन के अनुरूप बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में प्रश्नाधीन भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने के पर्याप्त कारण अपने आदेश में दर्शाये गये है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा भी आदेश में विस्तृत विवेचना की जाकर उपरोक्त आशय के निष्कर्ष निकालते हुये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की पुष्टि की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर